न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी–उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस

अपील संख्याः 09/21
(जीसीएमएस संख्या 2021/136)

निर्णय दिनांकः 22-08-25

1. तोलाराम पुत्र ठाकरसीराम जाति ब्राहम्ण उम्र 85 वर्ष साकिन चक 21 केवाईडी बी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

–अपीलांट्

–बनाम–

1. जीयाराम पुत्र मालुराम जाति जाट चक 22 केवाईडी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
2. जगदीश पुत्र मुलाराम जाति जाट चक 22 केवाईडी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
3. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार नोखा।

–रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्व आदेश उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला
दिनांक 09–02–2021

उपस्थितः–

1. श्री पुरूषोतम सारस्वत, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री जयवीर सिंह तंवर, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट् 01
3. श्री मुनीराम जाखड, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स 01 व 02
4. श्री मिलापचन्द धतरवाल, राजकीय, अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट् ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला के आदेश दिनांक 09–02–2021 जिसके द्वारा अदालत मातहत द्वारा एकतरफा तौर तरीके से अपीलांट् का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है ।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट् द्वारा अपनी खातेदारी भूमि चक 21 केवाडी के मुरब्बा नंबर 98/53 का कि.न. 1 ता 25 तादादी 25.00 बीधा कमाण्ड एवं मु.नं. 98/45 के कि.न. 3, 4, 8, 9 तादादी 2.08 बीघा है समस्त भुमि अपीलान्ट के उपयोग उपभोग में है एवं यही एक जिविकोपार्जन का साधन है। चक 21 केवाईडी के मु.न. 98/52, 60, 118/4 की सीमा पर कि.न. 21 ता कटानशुदा रास्ता है जिस पर खडवजा सडक बनी है अपीलांट इसी खडवजा रोड से होकर मु.न. 98/44 के किला नंबर 24, 25 की सीव से अपने कि.न. 4 में प्रवेश करता है परन्तु अपीलांट के पास अपने खेत में प्रवेश करने हेतु कोई रास्ता नही है। क्योकि मु.न. 98/44 के कि.न. 24, 25 रेस्पोडेंट/अप्रार्थी के नाम से दर्ज है। अपीलांट को मु.नं. 98/44 के कि.नं. 24, 25 से 0.2–0.2 बिस्वा रास्ते की आवश्यकता है इसके अलावा अपीलांट के पास आने जाने का कोई रास्ता नहीं है। अपीलांट धारा 251 ए के तहत वर्तमान डीएलसी दर से भूमि की किमत देने को तैयार है। इस आशय का प्रार्थना–पत्र भी अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष पेष किया जिसे जैर अपील आदेष के जरिये अधिनस्थ न्यायालय ने अस्वीकार कर दिया,जो आदेश विधि विरूद्ध है एवं निरस्त किये जाने योग्य है।

अपीलांट ने आगे अपनी बहस जारी रखते हुए कहा कि जैर अपील आदेश पारित करते हुए अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलांट/प्रार्थी को सुना ही नही और एकतरफा कार्यवाही करते हुए जैर अपील आदेश पारित कर दिया। अभिभाषक अपीलांट ने कहा कि वादगत रास्ता मु.नं. 118/4, जो 17 की पुली 365 हैड से खाजुवाला पक्की सडक से मु.नं. 98/60, 52, और 44 के किला नंबर 21 ता 25 खडवजा सडक से मु. नं. 44 की नहर चढता है तथा 61 हैड पुली पर जाता है जिससे चकवासी, नहर बेलदार और स्कुली बच्चों को आवागमन में सुविधा है तथा अन्य खोतेदारों को भी सहुलियत होगी। रेस्पोडेंट ने दिनांक 12–01–1991 को विवाद होने पर भरी पंचायत में रास्ता हेतु लिख कर दिया था तथा बीच में रास्ता बंद कर दिया जिसे तहसीलदार व पटवारी द्वारा खुलवाया गया था। अभिभाषक अपीलांट बहस को जारी रखते हुए कथन किये कि अपीलांट खेतिहर व्यक्ति है तथा वृद्ध है जिसने सन 2011 में उक्त प्रार्थना पत्र अर्न्तगत राजस्थान जनरल कॉलोनी कन्डीशन्स 1955 की शर्तो 8 (2) एवं सुखाधिकार अधिनियम में पेश

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर सत्यमेव जयते

राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर

किया था बाद में धारा 251 राज.काश्तकार अधिनियम अस्तित्व में आया तो एक प्रार्थना पत्र देकर रास्ता हेतु निवेदन किया लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने उस और ध्या नही नही दिया तथा स्वयं मौका देखा तब भी विस्तृत रिपोर्ट तैयार नहीं कि और प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। अभिभाषक अपीलांट ने जैर अपील आदेश को निरस्त फरमाने का निवेदन किया।

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट् ने अपनी बहस में कथन किया अभिभाषक अपीलांट द्वारा बताये गये सभी तथ्य काल्पनिक एवं असल्य है। अपीलांट की मुरबा नंबर 99/53 की भूमि से मुरब्बा नंबर 98/45 की किला नंबर 4 तक जाने हेतु बीच में एक ही किला मुरबा नंबर 98/45 का किला नंबर 5 आता है अपीलांट उक्त किला नंबर 5 से आता जाता है जो सुगम एवं सरल है। अपीलांट द्वारा चाहे गये रास्ते से रेस्पोडेंट के खातेदारी भुमि के दो किले आयेगे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नियमानुसार मौके की रिपोर्ट प्राप्त करने के उपरान्त यह पाये जाने पर कि अपीलांट् को उसकी जोत में आवागमन हेतु पूर्व से ही रास्ता उपलब्ध है। प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट् को अपनी जोत में आवागमन हेतु पूर्व से ही रास्ता उपलब्ध होने की स्थिति में धारा 251–ए के प्रावधान लागू नहीं होने की दशा में ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि सम्मत् तरीके से अपीलांट् का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। प्रकरण में चूंकि अपीलांट् प्रस्तुत अपील के माध्यम से ही भी यह तथ्य साबित करने में असफल रहे है कि उन्हें अपनी जोत में आवागमन हेतु कोई अन्य वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलांट् प्रस्तुत अपील के माध्यम से किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने के अधिकार नहीं है। अतः अपीलांट् की अपील खारिज की जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

6. रास्ते संबंधी प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु निम्नांकित बिन्दुओं का विवेचन किया जाना आवश्यक है:–

1:– रास्ते की अत्यांतिक आवश्यकता।

2:– वैकल्पिक रास्ते का अभाव।

3:– उपलब्ध विकल्पों में से निकटतम रास्ता।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

हस्तगत् प्रकरण में अपीलांट् द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपनी जोत मुरब्बा नंबर 3, 4, 8, 9 मे आवागमन हेतु रेस्पोडेन्ट की खातेदारी भुमि मुरब्बा नंबर 98/44 के किला नंबर 24, 25 में से रास्ते की मांग किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नियमानुसार मौके की रिपोर्ट प्राप्त की गई। उक्त मौका रिपोर्ट दिनांक 11–11–2020 में यह अभिलिखित किया गया है कि मुरबा नंबर 98/45 में किला नंबर 3, 4, 8, 9 में कुल 2.08 बीघा भुमि तोलाराम पुत्र ठाकरसीराम नाम जाति ब्राहम्ण खातेदार के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। साथ ही मुरब्बा नम्बर 98/53 की आराजी भी अपीलांट की है। इस मुरब्बा की उतरी सीमा पर मंजूरशुदा रास्ता उपलब्ध है। इस स्थिति में अपीलांट की दोनो भूमियों के मध्य केवल मुरब्बा नम्बर 98/45 का किला नम्बर 5 आता है। वर्तमान में अपीलांट अपने मुरब्बा नम्बर 98/45 के किला नम्बर 3 व 4 में प्रवेश करने के लिए मुरब्बा नम्बर 98/45 के किला नम्बर 5 में प्रवेश करता है तथा किला नम्बर 5 की उतर सीमा से चलते हुए अपने किला नम्बर 3 व 4 में प्रवेश करता है। इन तथ्यो से यह स्पष्ट है कि अपीलांट के पास रास्ता उपलब्ध हैं। रास्ते की अत्यान्तिक आवश्यकता व वैकल्पिक रास्ते के अभाव का बिन्दू साबित करने में अपीलांट असफल रहा है। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मुरब्बा नम्बर 98/44 के किला नम्बर 24 व 25 से रास्ता चाहा है। ऐसी स्थिति में हमारा अभिमत है कि जब अपीलांट की भूमि मुरब्बा नम्बर 98/45 के किला नम्बर 3 व 4 में स्थित है तथा उक्त भूमि के ही चिपते किला नम्बर 5 स्थित है। मौका रिपोर्ट के अनुसार उक्त रास्ता तार लगाकर बंद किया हुआ है ऐसी स्थिति में अपीलांट को बंद रास्ते को खुलवाने हेतु तहसीलदार के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना चाहिए था तथा उक्त बंद रास्ते को खुलवाकर उस रास्ते को रिकॉर्ड में स्वीकृत करवाया जाना चाहिए था। उक्त रास्ता ही अपीलांट के मुरब्बे के सबसे नजदीकी रास्ता है। परन्तु अपीलांट द्वारा मुरब्बा नम्बर 98/44 के किला नम्बर 24 व 25 मे से रास्ता स्वीकृत करवाने के लिए प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसे अपीलाधीन आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया। चूंकि अपीलांट द्वारा वांछित रास्ते का अनुतोष आत्यन्तिक आवश्यकता का नही है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इसे खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि कारित नही की है। अतः अपीलाधीन आदेश में हस्तक्षेप करना उचित प्रतीत नही होता है।

राजस्व अपील अधिका.
बीकानेर

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट् की अपील खारिज की जाकर उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला का आदेश दिनांक 09–02–2021 बहाल रखा जाता है।

8. निर्णय आज दिनांक 22-8-25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी
सत्यमेव जयते
बीकानेर